(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 167/2020

बउनवान

नवलकिशोर पुत्र देवलाल धाकड़ निवासी ग्राम बावड़ीखेड़ा तहसील छबड़ा जिला बारॉ (राज.)
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1–श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 20.07.2020

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1004/2020 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 02.03.2020 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बमोरा की सरकारी भूमि किस्म सिवायचक सम्वत् 2076 मे खसरा नम्बर 10/1 की रकबा 10 बिस्वा भूमि पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 25/– रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट सरिस्ता देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया।

इस पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया और अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को हीं आधार मानकर प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की उभयपक्ष बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और न ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलांट को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने पर, अधी. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने पर दिनांक 16.7.2020 को अपीलांट को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया है तब से अपीलांट न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की झूठी व मनगढन्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सजायाब किया है। उक्त निर्णय पारित किये जाने में भारी भूल की है। अधी. न्यायालय ने अपीलांट की उपस्थिति में निर्णय दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधी. न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 2.3.2020 की सर्वप्रथम जानकारी पुलिस द्वारा अपीलांट को गिरफ्तार करने पर दि. 16.7.2020 को ही हुयी, जिसके बाद नकल हेतु आवेदन करने पर 16.7.2020 को ही नकल प्राप्त करने पर अपील अंदर मियाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:41:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.3.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को दोषमुक्त करने की कृपा कर जेल से मुक्त करवाने की कृपा करें।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म सिवायचक पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान दण्डित किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण मे अतिक्रमित रकबा कम है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा ग्राम बमोरा की सिवायचक भूमि खसरा नं0 10/1 की रकबा 10 बिस्वा भूमि पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण किया गया है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है और अपीलांट दिनांक 16.7.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1004/2020 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत पारित आदेश दिनांक 2.3.2020 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा में से अब तक अपीलांट द्वारा भुगती गई सजा को छोड़कर शेष सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जॉच करावे, यदि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 10/1 की रकबा 10 बिस्वा भूमि किस्म सिवायचक पर फसल गेहूँ की बोई जाकर किया गया अतिक्रमण नही पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1004/2020 मे पारित आदेश दिनांक 2.3.2020 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.3.2020 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2020 को मेरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:41:55 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद अबूबक्र)
आर0ए0एस0, जिला कलेक्टर, बारॉ